न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

अपील संख्या :– 119/2017 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. गोपाल
2. मांगीलाल
3. जगदीश

पिसरान मंगला रेगर, समस्त जाति रैगर, निवासी ग्राम नया पढाना (रामसिंहपुरा) तहसील व जिला सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1. मदन पुत्र रामनाथ
2. राधेश्याम पुत्र रामनाथ
3. दीपचन्द पुत्र बजरंगा
4. गोरधन पुत्र केश्या
5. ओमप्रकाश पुत्र सूखा
6. विनोद पुत्र रामसहाय
7. कल्याण पुत्र मेवाराम
8. हजारी पुत्र रामचन्द
9. राधेश्याम पुत्र रामचन्द
10. बाबूलाल पुत्र रामचन्द
11. कालू पुत्र तेज्या
12. सूखा पुत्र नानगा (मृतक)
    - 12/1 मु0 रामनाथी वेवा सूखा
    - 12/2 राजेश पुत्र सूखा
    - 12/3 मुकेश पुत्र सूखा
    - 12/4 हरेश पुत्र सूखा
    - 12/5 कन्हैया पुत्र सूखा
    - 12/6 प्रेमचन्द पुत्र सूखा
    - 12/7 शान्ति पत्नी जगन्नाथ पुत्री सूखा निवासी गरमपुरा पोस्ट नयापुरा लाखेरी तहसील लाखेरी जिला बुन्दी।
    - 12/8 नीमा पत्नी बाबूलाल पुत्र सूखा निवासी गरमपुरा पोस्ट नयापुरा लाखेरी तहसील लाखेरी जिला बुन्दी।
    - 12/9 सीता पत्नी गिर्राज पुत्री सूखा निवासी लालपुर उमरी रैगर मौहल्ला तहसील गंगापुरसिटी जिला सवाईमाधोपुर।

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम नया पढाना (रामसिंहपुरा) तहसील व जिला सवाईमाधेपुर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

13. चिरंजी पुत्र नानगा
14. छोटी पत्नी मूल्या
15. नवल किशोर पुत्र मूल्या
16. ज्ञानचंद पुत्र भोल्या
17. लक्ष्मीचंद पुत्र आनन्दी
18. बिरधीचंद पुत्र रामनाथ
19. कन्हैया पुत्र प्रहलाद
20. कमलेश पुत्र प्रहलाद
21. राजेश पुत्र प्रहलाद
22. रामस्वरूप पुत्र नारायण
23. रामप्रसाद पुत्र नृसिंगा
24. नरेन्द्र पुत्र नृसिंगा
25. हरिराम पुत्र नृसिंगा
26. सुरेश पुत्र रामकुंवार
27. नरेद्र पुत्र रामकुंवार
28. महेन्द्र पुत्र रामकुंवार
29. विजय पुत्र रामकुंवार
30. प्रेमदेवी पत्नी रामकुंवार
31. रामनारायण पुत्र भुवाना
32. रामजीलाल पुत्र भुवाना
33. बदरी पुत्र भुवाना

समस्त जाति रैगर निवासी ग्राम नया पढाना (रामसिंहपुरा) तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

34. पार्वती देवी पत्नी बदरीलाल माणोलिया जाति रैगर निवासी चर्च के पास बाल मंदिर कालोनी मानटाउन बजरिया, सवाईमाधोपुर।
35. सहायक भू प्रबन्धक अधिकारी सवाईमाधोपुर।
36. तहसीलदार तहसील सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर अपील संख्या 4 व 5/2015 मदन वगै0 बनाम छोटी वगै0 निर्णय दिनांक 26.11.2015 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 27.4.1992 वाकै ग्राम नयापढाना रामसिंहपुरा तहसील सवाईमाधोपुर।

उपस्थितिः—

1. श्री अजीजुद्दीन अहमद वकील अपीलान्ट।
2. श्री कुंजबिहारी शर्मा वकील अपीलान्ट।
3. श्री विनोद अग्रवाल वकील रैस्पोडेन्टस।
4. श्री बृजेन्द्र विजयवर्गीय वकील रैस्पोडेन्टस।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांकः— 6.2.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 26.11.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 25.2.1992 की पालना में नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 27.4.1992 तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा तस्दीक किया गया है जिसके विरूद्ध रैस्पोडेन्टस द्वारा तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। बाद कार्यवाही जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 पारित करते हुये नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 27.4.1992 को निरस्त करते हुये प्रकरण विधिवत कार्यवाही उपरान्त गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार सवाईमाधोपुर को रिमाण्ड किया गया है। इस आदेश के खिलाफ यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि अपीलान्ट के पिता मंगला पुत्र देवा एवं अन्य चार काश्तकार क्रमशः मूल्या पुत्र ग्यारसा, भोल्या पुत्र बालू, रामनाथ पुत्र रामचन्द, नारायण पुत्र हेमा इन पांचो काश्तकारों को तत्कालीन जागीरदार हबीबुल्ला पुत्र सनाउल्ला काजी शहर सवाईमाधोपुर की जागीरदारी के Rajasthan Land Reforme & Resumption of jagir Act 1952 के तहत उक्त जागीरदार हबीबुल्ला पुत्र सनाउल्ला की समस्त कृषि भूमि 64 बीघा 4 विस्बा को रिज्यूम कर लिया गया और उस समय के कब्जे काश्तकार के आधार पर कुल पांच व्यक्ति क्रमशः (1) मंगला पुत्र देवा (2) मूल्या पुत्र ग्यारसा (3) भोल्या पुत्र बालू (4) रामनाथ पुत्र रामचन्द (5) नारायण पुत्र हेमा साविक खसरा नम्बर 116 रकबा 42 बीघा उपरोक्त पांचों काश्तकारों को आर0 टी0 एक्ट 1955 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत बकायदा कानूनी प्रकिया के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। जिसकी ताईद में उक्त पांचों व्यक्तियों के नाम विधिवत नामान्तरकरण संख्या 168 दिनांक 7.7.1977 खोला जाकर जमाबन्दी में उक्त पांचो व्यक्तियों के नाम इन्द्राज किये जाकर खातेदारी प्रदान की गई। इन पाचों व्यक्तियों में क्रम संख्या —1 पर अंकित मंगला पुत्र देवा अपीलान्टस के पिता है। इस तरह हमारे पिता मंगला को खातेदारी अधिकार प्रदान होने के पश्चात उनकी दिनांक 5.5.1992 को देहान्त हो जाने के कारण हम तीनों अपीलान्टस के नामों से विरासत का नामान्तरकरण संख्या 18 दिनांक 22.5.1992 तथा नामान्तरकरण संख्या 13 दिनांक 14.6.2000 विधिवत तस्दीक किये गये है। लेकिन अपीलान्टस की विरासतन भूमि को हडपने

के उद्देश्य से रैस्पोडेन्टस के द्वारा गिरोह बना कर के फर्जी खातेदारी के क्लेम हेतु झूठे मुकदमेबाजी की जा रही है। हम अपीलान्टस के अलावा समस्त भूमि जो हबीबुल्ला पुत्र सनाउल्ला काजी की जागीर रिज्यूम होने पर रामसिंहपुरा के व्यक्यिों अर्थात रैस्पो0 सं0 15 लगायत 36 आदि के खिलाफ झूठे मुकदमें एवं अनेकों दावे पेश कर रखे हैं। गैर कानूनी मियाद बाहर अपीलों में उलझाकर हमारी जमीन को हडपना चाहते हैं। यह कि अदालत तहत में नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 27.4.1992 के विरूद्ध रैस्पो0 कल्याणमल एवं ओमप्रकाश के द्वारा 22 बर्षों के पश्चात मियाद बाहर अपील पेश की गई थी। लेकिन तहत अदालत ने मियाद बिन्दु पर कतई गौर नहीं किया है और न ही तहत अदालत के समक्ष ऐसा कोई रैस्पोडेन्ट की ओर से सन्तोषजनक कारण स्पष्ट किया गया है जिसके आधार पर मियाद बाहर अपील को मियाद में शुमार किया जा सके। इस संबध में विभिन्न माननीय हायर अदालतों के द्वारा प्रतिपादित सिद्यान्तों को भी तहत अदालत द्वारा नजर अंदाज किया गया है और मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो काबिले मंसूखी है। रेस्पो0 कल्याणमल व ओमप्रकाश के भाईयों ने कभी भी नामा0 संख्या 11 दिनांक 27.4.1992 के विरूद्ध कोई अपील पेश नहीं की गई है तथा अकेले कल्याणमल व ओमप्रकाश अपील पेश करने के अधिकारी नहीं है और न ही समस्त रैस्पो0 एग्रीब्ड है। तहत अदालत में रैस्पोडेन्टस के द्वारा जानबूझ कर अपीलान्टस को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि प्रकरण में अपीलान्टस का विधिक रूप से हित निहित है। इसके अलावा एल आर एक्ट की धारा 135(2) के अंतर्गत विवादित नामान्तरकरण की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार संभागीय आयुक्त को है यह नामान्तरकरण विवादित होने के बाबजूद भी तहत अदालत ने इस पर क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह कि तहत अदालत ने अपीलान्टस के पिता मंगला की मृत्यु के बाद विरासत का नामा0 सं0 11 दि0 27.4.1992 पर बिना किसी आधार के कल्याण व ओमप्रकाश तथा सभी अन्य रैस्पो0 1 लगा0 14 मृतक मंगला के वंश एवं परिवार के सदस्य नहीं होने के कारण एग्रीब्ड नहीं है और इनको मृतक मंगला का वारिस नहीं होने के कारण 22 वर्ष पश्चात अपील पेश करने का अधिकार ही नहीं था। वर्षों पूर्व विधिक तस्दीक नामा0 सं0 168 दिनांक 7.7.1977 का बिना किसी आधार के मनमाने तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो कतई न्याय संगत नहीं है। यह है कि विवादित कृषि भूमि के संबध में उपखण्डाधिकारी सवाईमाधोपुर में नियमित दावा सं0 13/13 सन्तोष बनाम गोपाल, दावा संख्या 29/13 कल्याणमल बनाम नवकिशोर, दावा संख्या 12/13 कालू बनाम गोपाल, दावा संख्या 27/11 रामकुंवार बनाम लक्ष्मीचन्द, दावा संख्या 25/05 मदन बनाम नवकिशोर दावे पेश किये गये है जो अभी भी विचाराधीन है। इसलिऐ भी अपीलाधीन आदेश कतई अवैधानिक और निरस्त योग्य है। माननीय राजस्व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मण्डल एवं राज0 उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे कई मामलों में जिनमें नामान्तरकरण की कार्यवाही को दावे से चुनौती दी गई है उनमें नामान्तरकरण की अपीलों को चलने योग्य नहीं माना है तथा नामान्तरकरण का फैसला दावे के निर्णयानुसार किये जाने को ही वैद्य माना है। ऐसी स्थिति में भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। विवादित आराजी पर अपीलान्टस का बुजुर्गों के वक्त से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। अपीलाधीन आदेश अपीलान्टस की बैक पर पारित किया गया आदेश है इसलिऐ इसकी जानकारी अपीलान्टस को नहीं हुई। अपीलान्टस को इसकी जानकारी दिनांक 15.5.2016 को तब हुई जब रैस्पोडेन्ट कल्याणमल की ओर से गांव में एलानियां धमकी दी गई। तदोपरान्त 16.5.2016 को नकल प्रार्थना पत्र पेश किया और 24.5.2016 को नकल प्राप्त की गई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे जिसके लिये पृथक से धारा–5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्टस द्वारा निवेदन किया गया कि दौराने पारित अपीलाधीन आदेश महत्वपूर्ण तथ्य दावा का विचाराधीन होते हुये एक लम्बा अर्सा गुजर जाने के उपरान्त भी मियाद बिन्दु पर गौर न किया जाकर, विभिन्न हायर अदालतों द्वारा प्रतिपादित सिद्यान्तों को अनदेखा करते हुये विधि विरूद्ध, क्षेत्राधिकार से परे जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 पारित कर दिया गया है जो कतई न्याय संगत न होने के कारण काबिले मंसूखी है। लिहाजा अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर का आदेश दिनांक 26.11.2015 निरस्त फरमाया जावे।

वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि अपीलान्ट गोपाल, मांगीलाल और जगदीश तहत न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिऐ इनको यह अपील पेश करने का अधिकार नहीं है। नामान्तरकरण संख्या 11 दिनांक 27.4.1992 को तहत अदालत ने विधि विरूद्ध माना है क्यों कि तहत अदालत के समक्ष रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत खसरा गिरदावरी से रैस्पोडेन्ट के पुराने कब्जे की पुष्टि हो चुकी है। जैरे अपील में उल्लेखित खसरा नम्बर 131 गै0मु0 आम रास्ता होना व आज भी आम रास्ते के उपयोग में आना, एवं खसरा नम्बर 172 पर आबादी स्कूल व मंदिर होना माना है तथा विवादित नामान्तरकरण को जांच का विषय माना है। तहत अदालत ने मंगला पुत्र देवा नाम के व्यक्ति के आस्तित्व पर ही प्रश्नचिन्ह लगाया है। ऐसी सूरत में नामान्तरकरण संख्या 11 अपास्त होने योग्य ही है। यह नामान्तरकरण विरासत का नहीं है। तथा जिन दावों का जिक्र अपीलान्टस ने किया है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तरकरण संख्या 11 का उन दावों से कोई ताल्लुक नहीं है। अपीलान्ट अदालतों को गुमराह करना चाहते है। मियाद के संदर्भ में भी अपीलान्ट ने कोई ठोस साक्ष्य सबूत या सन्तोष जनक जबाब नहीं पेश किया है। लिहाजा अपील अपीलान्ट मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण भी काबिले मंसूखी रहती है। वास्तविक स्थिति तहत अदालत के समक्ष रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत की जा चुकी थी जिसे न्यायिक दृष्टिकोण से वकायदा तहत अदालत ने स्वीकार भी किया है। जिसके तथ्य बखूबी तहत पत्रावली पर मौजूद भी है। उपर्युक्त तमाम तथ्यों पर पूर्ण विवेचना उपरान्त ही गुणावगुण के आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो वास्तव में न्याय संगत है। अन्त में वकील रैस्पोडेन्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट आधारहीन व बेबुनियाद तथ्यों पर आधारित होने के कारण खारिज की जाकर तहत अदालत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> ''Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants''

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
''Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal''

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। रैस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत बतौर साक्ष्य खसरा गिरदावरी सम्बत 2009–33 से प्रथम दृष्ट्या रैस्पोडेन्ट के पुराने कब्जे की पुष्टि हो जाती है। इसके अलावा अपीलान्ट के पिता मंगल्या पुत्र देवा के आस्तित्व में होने अथवा न होने की स्थिति भी अभी स्पष्ट होना शेष है। इन रिकार्डेड तथ्य के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य न तो तहत अदालत के समक्ष ही प्रस्तुत किया है और न ही अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जिससे कि उपरोक्त तथ्य को निराधार माना जा सके। वकील अपीलान्ट द्वारा मुख्यतः मियाद बिन्दु पर ही गुरैज किया है। हमारे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ख्याल से जो आदेश प्रारम्भ से ही शून्य हो अथवा ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश जिसकी आड में किसी व्यक्ति के हक हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा हो अर्थात ऐसा विधि विरूद्ध आदेश जिसके आस्तित्व में बने रहने से किसी भी पक्षकार को सख्त हक तलफी पैदा हो रही हो उसे ध्यान में आते ही तत्समय नियमानुसार दुरूस्त किया जाना ही न्याय के नैसर्गिक सिद्यान्तों के अनुकूल रहता है। हमारे ख्याल से प्रकरण में पारदर्शिता लाने के लिये अपीलान्टस के वास्तविक पिता मंगल्या पुत्र देवा एवं मंगला पुत्र रामा के आस्तित्व के बिन्दु का स्पष्ट किया जाना वेहद आवश्यक है। इसके अलावा खसरा नम्बर 131 जो राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 आम रास्ता दर्ज होना एवं खसरा नम्बर 172 पर आबादी, स्कूल, मंदिर, आदि की स्थिति भी क्लीयर होनी है। जिसके संदर्भ में परीक्षण न्यायालय सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 25.2.1992 पारित किया गया है। इसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिये तहत अदालत द्वारा यह प्रकरण उभयपक्षकारान की सुनवाई, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों के परीक्षण हेतु तहसीलदार सवाईमाधोपुर को रिमाण्ड किया गया है ताकि प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये पुनः गुणावगुण के आधार पर न्यायिक एवं तार्किक निर्णय पारित किया जा सके। वैसे भी इस अपीलाधीन आदेश के जरिये दोनों ही पक्षों के लिये परीक्षण न्यायालय में अपने हक साबित करने के लिये विकल्प खुले हुये है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 में कोई विधिक त्रृटि नहीं पाये जाने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज योग्य ही रहती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट तथ्यों के विपरीत पाये जाने के कारण खारिज की जाती है। तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2015 में कोई विधिक त्रुटि न पाये जाने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 6.2.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर